



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251086
CG-DL-E-02012024-251086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024

का.आ. 40(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'बेल्लारी शहरी विकास प्राधिकरण' (पैन: AAALB0037A), कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संस्थापित एक प्राधिकरण, उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- स्वयं के अभिन्यास विकास से राजस्व;
- निजी अभिन्यास सुधार प्रभार के कारण संग्रहण;
- सिविल पर्यवेक्षण प्रभार;
- नागरिक सुविधा स्थल से पट्टा; और
- बैंक जमाओं पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि बेल्लारी शहरी विकास प्राधिकरण:-

- किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;

- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी जो कि क्रमशः वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 1 /2024 फा.सं. 300196/26/2021-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।